

सं. 14/2/2017
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 01 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 8 मार्च, 2017 को आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 2री बैठक (2017 सीरीज) - एजेंडा अग्रेषित करने के संदर्भ में

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2017 को प्रातः 10:00 बजे, कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 2री बैठक (2017 सीरीज) के लिए एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(जी.श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23062496

ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आय कर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि : सचिव के पीएसओ/एएस (एवीसी) के पीपीएस/निदेशक (टीवीआर) के निजी सचिव

08.03.2017 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए 2^{री} बैठक
(2017 सीरीज) हेतु एजेंडा

.....

2.1 (17) 06.01.2017 को आयोजित 1^{ली} बीओए (2017 सीरीज) की बैठक के मिनटों की पुष्टि।

2.2 (17) मैसर्स एमकेयू (पी) लिमिटेड (ऑप्टिक्स डिवीजन), एनएसईजेड के तहत एक ईओयू - 12.05.2016 से 14.09.2016 तक चार महीने के लिए एलओपी के विस्तार के लिए पोस्ट फैक्टो अनुमोदन।

12.05.2011 के एलओपी वाले मैसर्स एमकेयू (पी) लिमिटेड (ऑप्टिक्स डिवीजन), कानपुर, यूपी में एक ईओयू है, जो दूरबीनों और मोनाक्युलर्सके निर्माण और निर्यात में लगी हुई है।

27.08.2015 को आयोजित ईओयू के लिए अपनी बैठक (2015 सीरीज) में बोएने इकाई के एलओपी को 5^{वें} वर्ष यानी 11.05.2016 तक बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिपोर्ट के अनुसार, इकाई ने 17.08.2016 को विनिर्माण शुरू किया और 14.09.2016 को पहला निर्यात किया। हालांकि, इकाई का एलओपी 11.05.2016 तक वैध था। इसलिए, इकाई के पास 14.09.2016 को वैध एलओपी नहीं था। इकाई ने पहले सूचित किया था कि इसका डीसीपी 29.04.2016 के अनुसार है। बाद में यह पता चला कि 29.04.2016 केवल उत्पादन प्रक्रिया शुरू करने की तारीख थी, न कि डीसीपी की।

इसलिए, यूनिट के एलओपी को 12.05.2016 से 14.09.2016 की अवधि के लिए पोस्ट विस्तारित किया जाना चाहिए।

एफ़टीपी का प्रासंगिक प्रावधान:

एफ़टीपी के पैरा 6.05 (ए) के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो 4 साल से अधिक विस्तार, बीओए द्वारा दिया जाएगा।

डीसी की सिफारिश: एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

भाग II

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन

के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदनदिये गये

| | | |
|----|---|------------|
| क | जनवरी, 2017 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत। | एनएसईजेड |
| ख | अक्टूबर, 2016 से दिसंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत | केएसएसईजेड |
| ग | अवधि दिसंबर, 2016 से जनवरी, 2017 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत दी गई स्वीकृति | सीपज |
| घ | अवधि दिसंबर, 2016 से जनवरी, 2017 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत दी गई स्वीकृति | वीएसईजेड |
| ड. | दिसंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत- शून्य | एफएसईजेड |